निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक/लेखा–स्था0/19685-86/एक (ख) (1)विज्ञापन/2024–25, दिनांक 28 नवम्बर, 2024

"विज्ञप्ति/नीलामी "

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी एवं निष्प्रयोज्य **e-waste** सामग्री की नीलामी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में इस नामित गठित समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नवत् की जायेगी।

1. निष्प्रयोज्य सामग्री एवं निष्प्रयोजय **e-waste** सामग्री की नीलामी जहां पर है जैसी स्थिति में है के आधार पर अलग–अलग तिथियों को पृथक–पृथक रूप से की जायेगी।
2. इच्छुक बोलीदाता दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, उत्तराखण्ड, देहरादून में उपस्थित होकर सामग्री का भली भाँति अवलोकन अथवा परीक्षण कर सकते हैं।
3. सामान्य निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को अपरान्ह 2.00 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, उत्तराखण्ड, देहरादून में की जायेगी।
4. निष्प्रयोज्य **e-waste** सामग्री की नीलामी दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को अपरान्ह 2.00 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, उत्तराखण्ड, देहरादून में की जायेगी।
5. नीलामी की विस्तृत शर्तें, आवेदन पत्र, घोषणा पत्र आदि विभागीय वेबसाईट shooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिन्हे Down Load कर अथवा किसी भी कार्य दिवस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता हैं

(डा0 मुकुल कुमार सती)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या/लेखा–स्था0/19685-86/एक (ख) (1)विज्ञापन/2024–25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में दिनांक 29 नवम्बर, 2024 तक 50 वर्ग सेंमी माप (श्वेत श्याम) में DAVP दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. दैनिक जागरण, देहरादून संस्करण।
2. हिन्दुस्तान (हिन्दी), देहरादून संस्करण।

(डा0 मुकुल कुमार सती)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

निदेशालय–माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

निष्प्रयोज्य सामग्री व E-Waste के लिए नीलामी की शर्ते

नीलामी हेतु बोलीदाताओं पर निम्नलिखित नियम व शर्तें प्रतिपादित होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण–पत्र/अभिलेख नीलामी के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

1. निष्प्रयोज्य सामग्री एवं निष्प्रयोजय **e-waste** सामग्री की नीलामी जहां पर है जैसी स्थिति में है के आधार पर अलग–अलग तिथियों को पृथक–पृथक रूप सें की जायेगी, जिसके लिए किसी भी प्रतिभागी को निदेशालय द्वारा सामान की सूची अथवा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
2. सामान्य निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को अपरान्ह 2.00 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में की जायेगी।
3. एवं E-waste सामग्री की नीलामी दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को अपरान्ह् 2.00 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, की जायेगी।
4. ई–वेस्ट की नीलामी हेतु केवल वही फर्में अर्ह होंगी जो कि **E-Waste** हेतु भारत सरकार अथवा देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत होंगी (पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा)।
5. आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट/आधार कार्ड, फर्म का जी.एस.टी. में पंजीकरण प्रमाण–पत्र तथा E-Waste की नीलामी हेतु राज्य/भारत सरकार द्वारा निर्गत पंजीकरण लाइसेन्स की प्रति।
6. E-Waste के लिए स्वयं E-Waste हेतु पंजीकृत फर्म ही प्रतिभाग कर सकेंगी।
7. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित अभिलेख जमा कराये जाने होंगे। अभिलेखों का सत्यापन व आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं सही पाये जाने पर ही फर्म/बोलीदाता को बोली में प्रतिभाग करने के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।
8. सामग्री का विक्रय खुली बोली के आधार पर किया जायेगा।
9. निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सामग्री जहां पर है जैसी स्थिति में है के आधार पर की जायेगी, जिसके लिए किसी भी प्रतिभागी को निदेशालय द्वारा सामान की अतिरिक्त रूप से कोई सूची अथवा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. प्रतिभागियों को नीलामी से पूर्व दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर सामान का निरीक्षण/अवलोकन करना होगा, जिसके प्रतिभागियों द्वारा सोच समझ कर, वस्तु स्थिति को यथास्थान भलीभाँति देखकर ही सामान की बोली लगायी जानी होगी। बोली लगाने के बाद इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत एवं दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा
11. सभी इच्छुक प्रतिभागियों को बोली लगाने से पूर्व रू0 100 के नॉन जूडिसिएल स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र समिति को उपलब्ध कराना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा **"यह कि मैंने सामान को देख लिया है और सामग्री के सम्बन्ध में अब मुझे कोई संदेह नहीं है। सामान देखने एवं उसका भलीभाँति परीक्षण करने के उपरान्त ही मैं स्वेच्छा से और सोच समझ कर नीलामी में प्रतिभाग कर रहा हूँ।"**

Scanned with OKEN Scanner

12. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि (सुरक्षा धनराशि को सम्मिलित करते हुये) को उसी दिन कार्यालय में समिति के अध्यक्ष के पास जमा करना होगा तथा अवशेष धनराशि को अनिवार्य रूप से 05 दिन के भीतर कार्यालय में जमा कर, निष्प्रयोज्य सामान को उठाना होगा।

13. नीलामी धनराशि एवं जी0एस0टी0 निर्धारित समय पर निदेशालय में जमा न करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें फर्म की सुरक्षा धनराशि को जब्त कर, फर्म को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

14. बोली स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार अध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड) के पास सुरक्षित होगा।

15. इसके उपरान्त प्रतिभागी द्वारा निष्प्रयोज्य सामान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दावा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही निदेशालय द्वारा इस पर कोई विचार किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रतिभागी की होगी।

16. इस अवधि में यदि कोई शासकीय नियमों में परिवर्तन होगा तो तद्नुसार संशोधन लागू माना जायेगा।

17. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के नाम से E-Waste सामग्री हेतु रू0 10000/– (रू0 दस हजार) एवं अन्य सामान्य निष्प्रयोज्य सामग्री के लिए रू0 10000/– (रू0 दस हजार) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा धनराशि के रूप में पृथक–पृथक निदेशालय में दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक जमा करना होगा।

18. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, घोषणा पत्र भरकर और निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के नाम से उक्त बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 अपरान्ह को 2.00 बजे तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, निर्धारित समय के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19. बोलीदाता फर्म को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ई–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 दिनांक 23 मार्च, 2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत E-Waste recycler के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जो कि नीलामी तिथि तक वैध होना आवश्यक है।

20. ई–अपशिष्ट के सम्बन्ध में जो भी प्रचलित नियम हैं उनका अनुपालन किये जाने का समस्त उत्तरादायित्व सम्बन्धित E-waste recycler के रूप में पंजीकृत फर्म का रहेगा इसके लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं उनके द्वारा गठित नीलामी समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

21. नीलामी करने वाले अधिकारी उच्चतम या किसी भी प्रकार की बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। नीलामी का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा बोली लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों व गलत इरादे से बोली लगाने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. नीलामी करने वाले अधिकारी द्वारा किसी भी बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगी।

23. बोली लगाने वाले व्यक्तियों को उनकी बोली पर ही रखा जाएगा चाहे वह उच्चतम् हो अथवा नहीं।

24. किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की उसका सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा लिखित वैद्यानिक प्राधिकार–पत्र न दिया गया हो।

Scanned with OKEN Scanner

25. सामग्री को वहीं विक्रय किया जायेगा जहां पर वह उपलब्ध है। सभी सामग्री को नीलाम किये गये स्थान से ही बोलीदाता को उठाना होगा। सामग्री पर किसी प्रकार की वारंटी या गांरटी निहित नही होगी। किसी शिकायत पर भी विचार नहीं किया जायेगा। सामग्री को इस धारणा से विक्रय किया जायेगा कि बोलीदाताओं ने सामग्री का निरीक्षण कर लिया है और जानते है कि वें क्या खरीद रहे है।

26. नीलामी करने वाले अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापित सामग्री की नीलामी को निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

27. जिन बोली दाताओं की बोली स्वीकार नहीं होती है उनके द्वारा निदेशालय में बयाना धनराशि के रूप में जमा रू0 10000/– (रू. दस हजार मात्र) के बैंक ड्राफ्ट को बोली समाप्त होने पर, उन्हें अवमुक्त (Released) कर वापस कर दिया जायेगा तथा उच्चतम बोलीदाता की बयाना धनराशि को सामान की बोली हेतु लगाई गयी सम्पूर्ण धनराशि जमा करने तथा सामान उठाने पर सम्बन्धित को वापस कर दिया जायेगा।

28. यदि कोई सफल बोलीदाता उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी रद्द कर दी जायेगी और उसके द्वारा इस हेतु जमा की गयी बयाना राशि जब्त कर बोलीदाता फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को पेशकश की जाएगी।

29. नीलाम की गयी सामग्री का अन्तिम भुगतान प्राप्त होने पर बोलीदाता को सामग्री को उठाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। बोलीदाता से धनराशि की पावती रसीद प्राप्त की जायेगी।

30. सामग्री को सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में हटाया/उठाया जायेगा।

31. सम्पूर्ण भुगतान करने पर सम्बन्धित बोलीदाता को तत्काल उसी दिन सभी सामग्रियों को हटाना होगा।

32. यदि सक्षम प्राधिकारी या सरकार जैसा भी मामला हो स्वीकृत बोली को स्वीकार नहीं करता है तो सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गयी राशि उसे वापस कर दी जाएगी और उसके पक्ष में नीलामी को शून्य माना जाएगा।

33. किसी भी विवाद के मामले मे मुकदमा दायर का अधिकार क्षेत्र वह स्थान होगा जहां नीलामी आयोजित की जायेगी।

34. उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र आदि को समय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध कराने तथा नियमो का पालन करने पर प्रतिभागियों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी।

35. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र के सही पाये जाने पर फर्म/बोलीदाताओं को एक टोकन निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर वे नीलामी में प्रतिभाग कर सकेंगे। नीलामी हेतु निर्धारित मूल्य पर बोली रू0 500.00 (रुपया पांच सौ मात्र) के गुणांक में स्वीकार की जायेगी।

(डा0 मुकुल कुमार सती)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

निदेशालय–माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

नीलामी हेतु आवेदन पत्र

1. नीलामी हेतु बोली दाता का नाम ....

2. पता..

फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण..मोबाईल न0.................................

3. फर्म का नाम ....

4. पता ....

5. फोन नम्बर कार्यालय ....मो0 ....

6. फर्म का रजिस्ट्रेशन न0..(प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)

7. बैंक खाता विवरण..

8. फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर..(प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)

9. पैनकार्ड का विवरण..

10. उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य के प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिकत E-Waste recycler का प्रमाण–पत्र संलग्न करें व वैद्यता की तिथि अंकित करें...

11. जमानत धनराशि का विवरण..

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की संख्या एवं उनका विवरण...

....

....

....

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा–पत्र

मै...पुत्र श्री ....

(व्यक्ति/फर्म) सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई भी सूचना जो नीलामी की शर्तो के अनुरूप दी जानी आवश्यक थी, छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा। नीलामी में भाग लेने के लिए मै किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं रखता हूँ। मेरे द्वारा नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते पढ़ ली गयी हैं और मैं इन नियम व शर्तो को स्वीकार करता हूँ। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने सामान को देख लिया है और सामग्री के सम्बन्ध में अब मुझे कोई संदेह नहीं है। सामान देखने एवं सामग्री का भलीभाँति परीक्षण करने के उपरान्त ही मैं स्वेच्छा से सोच समझ कर नीलामी बोली में प्रतिभाग कर रहा हूँ।

नाम..

फर्म का नाम...

मालिक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर दिनांक सहित

फर्म की मोहर

Scanned with OKEN Scanner